न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 95/2015 तारीख रजू:—07.10.2015

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. राधामोहन उम्र 61 साल	पुत्रगण दामोदर लाल, जाति महाजन, निवासी हिण्डौन
2. रामअवतार उम्र 58 साल	तहसील हिण्डौन, जिला करौली राजस्थान ———सायलान

बनाम

1. प्रदीपकुमार पुत्र श्री रामदयाल,जाति महाजन, निवासी हिण्डौन,तह. हिण्डौन, जिला करौली।
2. लीलाबाई पुत्री रामदयाल,जाति महाजन, निवासी हिण्डौन, तहसील हिण्डौन, जिला करौली।
3. ललित पुत्र सत्यभान, जाति महाजन, निवासी हिण्डौन, तहसील हिण्डौन, जिला करौली।
4. वर्षा पुत्री सत्यभान, जाति महाजन, निवासी हिण्डौन, तहसील हिण्डौन, जिला करौली।
5. रीना पुत्री सत्यभान, जाति महाजन, निवासी हिण्डौन, तहसील हिण्डौन, जिला करौली।
6. सरोज पत्नि सत्यभान, जाति महाजन, निवासी हिण्डौन, तहसील हिण्डौन, जिला करौली।

7. गुड्डी पुत्री मुन्नी,	जाति सभी ब्राह्मण,
8. राजू पुत्री पुष्पा,	निवासी गढीमौहल्ला, हिण्डौन
9. मनोज पुत्री पुष्पा,	तहसील हिण्डौन, जिला करौली।
10. पुष्पेन्द्र पुत्र श्यामा,	
11. शुभलक्ष्मी पुत्री श्रीलाल,	
12. गायत्री पुत्री श्रीलाल,	
13. कृष्णा पुत्री श्रीलाल,	

14. तहसीलदार तहसील हिण्डौन, जिला करौली।
15. पवन कुमार उम्र 54 साल पुत्र दामोदर लाल, जाति महाजन, निवासी—अग्रसेन विहार, हिण्डौन सिटी, तहसील हिण्डौन, जिला करौली ———————————गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित:—1. श्री राधेश्याम शर्मा एवं नरेन्द्र सिंह जादौन एडवोकेट सायलान
2. श्री पी.एल. गोयल एडवोकेट गैरसायल सं0 1,3
3. श्री संजीव कुमार सिंघल एडवोकेट गैरसायल सं02,4,5,6,
4. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट गैरसायल सं0 7 ता 13

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

निर्णय

दिनांक :— 24.09.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि सायलान ने गैरसायलान के विरूद्ध उक्त उनवानी दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा मजबूत आधारों के साथ पेश कर दिया है जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी—पूरी संभावना है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि सायलान एवं गैरसायल नं. 15 के स्व. पिता श्री दामोदरलाल पुत्र श्री जमनालाल एवं गैरसायल नम्बर 1 के स्व. पिता एवं गैरसायल नम्बर 2 के स्व. पति एवं गैरसायल संख्या 3 ता 5 के स्व. बाबा एवं गैरसायल संख्या 6 के स्व. ससुर श्री रामदयाल पुत्र श्री जमनालाल आपस में सहोदर भाई थे, गैरसायलान के स्व. बुजुर्ग श्री रामदयाल उस समय बड़े भाई होने के कारण संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता खानदान थे।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि अर्सा करीब 50 साल पूर्व सायलान एवं गैरसायल नं. 15 के स्व. पिता श्री दामोदरलाल जी एवं गैरसायल संख्या 1 ता 6 के स्व. बुजुर्ग श्री रामदयाल जी द्वारा कस्बा हिण्डौन में संयुक्त रूप से धन खर्च कर खातेदारी आराजीयात क्रय की थी, उक्त संयुक्त रूप से खरीद की गई आराजीयात की खातेदारी गैरसायल संख्या 1 ता 6 के बुजुर्ग स्व. रामदयाल जी द्वारा कर्ता खानदान होने के कारण स्वयं अकेले अपने नाम एवं अपने विश्वास पात्र मु० बादामी बेवा चीपू, जाति ब्राहाण, निवासी— गढीमौहल्ला, हिण्डौन व अन्य लोगों के नाम करा ली थी।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि सायलान, गैरसायल नं. 15 के स्व. पिता एवं गैरसायल संख्या 1 ता 6 के स्व. बुजुर्ग रामदयाल जी द्वारा संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति के रूप में खरीद की गई संयुक्त कृषि आराजी के साबिक खसरा नम्बर 3001 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 2999 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 2962 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 2928 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 3002 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 3141 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 2959 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 2965 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, स्थित ग्राम हिण्डौन, तहसील हिण्डौन, जिला सवाईमाधोपुर थे।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि आराजी मुतजिक्रा मद नम्बर 4 प्रार्थना पत्र योम खरीद के दिन से ही बराबर—बराबर सायलान एवं गैरसायल नं. 15 के

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

स्व. पिता एवं गैरसायल संख्या 1 ता 6 के स्व. बुजुर्ग रामदयाल जी के कब्जे काश्त व उपयोग, उपभोग में चली आ रही है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि आराजी मुतजिक्रा मद नम्बर 4 प्रार्थना पत्र एवं मकान पुख्ता कुर्सीनुमा स्थित करोली रोड हिण्डौन के संबंध में सायलान एवं गैरसायल नं. 15 के स्व. पिता दामोदर लाल एवं गैरसायल संख्या 1 ता 6 के स्व. बुजुर्ग रामदयाल जी के बीच एक बाहमी बंटवारे का एग्रीमेन्ट दिनांक 27.10.1977 को बकलम सचिदानन्द पंडा प्रलेख लेखक, हिण्डौन की कलम से वरस्टाम्प कीमती 5 रूपया नग किता 3 पर तहरीर व तकमील किया गया जिसके अनुसार गैरसायल संख्या 1 ता 6 के स्व. बुजुर्ग रामदयाल जी की खातेदारी में एवं उनके विश्वस्त मु. बादामी बेवा चीपू, जाति ब्राह्मण की खातेदारी में चली आ रही संयुक्त हिन्दू परिवार की कृषि आराजी में से भूमि खसरा नम्बर 2999 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 3001 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 2965 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा में से 1/2 पश्चिमी भाग व खसरा नम्बर 2928 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा में से 1/2 भाग उत्तरी तरफ वाला कुल 9 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्व. श्री रामदयाल जी के हिस्से, कब्जे व स्वामित्व का तहरीर किया जाकर उनके वास्तविक कब्जे में दिया गया तथा आराजी साबिक खसरा नम्बर 3002 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 3141 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 2959 रकबा 18 बिस्वा, सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 2965 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा का 1/2 पूर्वी भाग एवं खसरा नम्बर 2928 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा का 1/2 दक्षिणी भाग सायलान एवं गैरसायल नं. 15 के स्व. पिता दामोदरलाल के हिस्से कब्जे व स्वामित्व का तहरीर किया जाकर, उन्हें वास्तविक कब्जे में दिया जाकर उक्त आराजी की खातेदारी सायलान एवं गैरसायल नं. 15 के स्व. पिता के नाम करवाने के प्रतिज्ञा की थी, तथा आराजी खसरा नम्बर 2999 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 3001 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 2965 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा पश्चिमी तरफ वाला, खसरा नम्बर 2928 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा उत्तरी तरफ वाला, यानि कुल 9 बीघा 4 बिस्वा भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 6 के बुजुर्ग रामदयाल जी के हिस्से में दिया जाकर उनके कब्जे में दिया गया, सायलान एवं गैरसायल नं. 15 के स्व. पिता एवं गैरसायल संख्या 1 ता 6 के स्व. बुजुर्ग रामदयाल जी के बीच हुये उक्त बंटवारे, एग्रीमेन्ट को पढ व समझ कर, उक्त दोनों ही भाईयो ने यथास्थान उक्त प्रलेख पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर बकलम सचिदानंद पण्डा तहरीर करवाई थी, उक्त एग्रीमेन्ट, बाहमी बंटवारा लेखपत्र के तहत सायलान एवं गैरसायल नं. 15 के स्व. पिता को कब्जे व हिस्से में दी गई उक्त आराजी पर पहले उनके स्व. पिता दामोदर लाल जी व अब सायलान एवं गैरसायल नं. 15 बहैसियत मालिक काबिज एवं दखील है और अपने हिस्से में आयी उक्त आराजी पर लगातार वर्ष दर वर्ष फसल काश्त कर लाभान्वित हो रहे हैं।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं0 7 में दर्ज किया है कि सेटलमेन्ट ऑपरेशन के दौरान आराजी मुतजिक्रा मद नम्बर 4 प्रार्थना पत्र में से साबिक आराजी खसरा नम्बर 2999 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 3001 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 5406 रकबा 1.45 हैक्टेयर तथा साबिक खसरा नम्बर 2965 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा से नवीन खसरा नम्बर 5486 रकबा 0.9400 हैक्टेयर, साबिक खसरा नम्बर 2928 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा से नवीन खसरा नम्बर 5492 रकबा 0.7100 हैक्टेयर, साबिक खसरा नम्बर 3002 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा से नवीन खसरा नम्बर 5271 रकबा 0.9000 हैक्टेयर, साबिक खसरा नम्बर 3141 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा से नवीन खसरा नम्बर 5270 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, साबिक खसरा नम्बर 2959 रकबा 18 बिस्वा से नवीन खसरा नम्बर 5407 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, स्थित ग्राम हिण्डौन तहसील जिला करौली कायम किये गये है जिनमें से आराजी खसरा नम्बर 5271 रकबा 0.9000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5270 रकबा 0.4200 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 5407 रकबा 0.2300 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 5486 रकबा 0.9400 हैक्टेयर के 1/2 पूर्वी भाग व खसरा नम्बर 5492 रकबा 0.7100 हैक्टेयर, के 1/2 दक्षिणी भाग पर सायलान एवं गैरसायल नं. 15 के वाकई मौके पर व भौतिक कब्जे का कायम किया है जिस पर सायलान एवं गैरसायल न. 15 का दर हिस्सा 1/3, 1/3, 1/3 पर दिनांक 27.10. 1977 से अपने पिता के समय से ही वाकई मौके पर कब्जा है और शेष आराजी गैरसायल संख्या 1 ता 6 के बुजुर्ग रामदयाल जी के कब्जे काश्त व हिस्से की आराजी रही है लेकिन सायलान एवं गैरसायल नं. 15 के हिस्से व कब्जे की वर्तमान आराजी में से खसरा नम्बर 5486, खसरा नम्बर 5492 व खसरा नम्बर 5271 की खातेदारी गैरसायल संख्या 1 ता 6 के नाम एवं खसरा नम्बर 5270 व 5407 की खातेदारी गैरसायल संख्या 7 गुड्डी पुत्री मुन्नी हिस्सा 1/4 गैरसायल संख्या 8 व 9 राजू, मनोज पुत्री पुष्पा हिस्सा 1/6 गैरसायल संख्या 10 पुष्पेन्द्र पुत्र श्यामा हिस्सा 1/6, गैरसायल संख्या 11 शुभलक्ष्मी पुत्री श्रीलाल हिस्सा 1/6 गैरसायल संख्या 12 गायत्री पुत्री श्रीलाल हिस्सा 1/6 व गैरसायल संख्या 13 कृष्णा पुत्री श्रीलाल हिस्सा 1/6 जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें से सायलान हिस्सा 1/3, 1/3 के एवं गैरसायल नं. 15 हिस्सा 1/3 आराजी के खातेदार घोषित किये जाने के विधिक अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि सायलान एवं गैरसायल नं 15 के स्व. पिता दामोदरलाल जी को बाहमी बंटवारे के तहत जरिये प्रतिज्ञा पत्र दिनांक 27.10. 1977 को हिस्से में दी गई आराजीयात में होकर राज्य सरकार द्वारा अलवर करौली रोड के नवीन मार्ग के बाईपास बनाने हेतु भूमि अवाप्त कर मुआवजा राशि का वितरण किया

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

गया था उक्त बाईपास कार्य के लिये सायलान एवं गैरसायल नं. 15 के हिस्से की आराजी खसरा नम्बर 5492 का दक्षिणी तरफ वाला 5 ऐयर रकबा तथा खसरा नम्बर 5486 का पूर्वी तरफ वाला 4 ऐयर भाग भी तत्समय अवाप्त किया गया था जिसकी मुआवजा राशि का भुगतान गैरसायल संख्या 1 ता 6 के स्व. बुजुर्ग को उनके नाम खातेदारी दर्ज होने से प्राप्त हुआ था लेकिन गैरसायल संख्या 1 ता 6 के स्व बुजुर्ग ने सायलान एवं गैरसायल नं. 15 के स्व. पिता के हिस्से की प्राप्त मुआवजा राशि 48,620/—रूपये में से 140/—रूपये बैंक खर्चा मुजरा करके शेष 48,480/— रूपया का भुगतान सायलान एवं गैरसायल नं. 15 के स्व. पिता को जरिये चैक नम्बर 339247 बैंक ऑफ बडौदा शाखा हिण्डौन कर दिया था और शेष मुआवजा राशि प्राप्त होने पर भुगतान का विश्वास दिलाया था, मुआवजा राशि के उक्त लेन देन एवं शेष के भुगतान के संबंध में दिनांक 29.04.1994 को सायलान एवं गैरसायल नं. 15 के स्व. पिता द्वारा एक प्रलेख वरस्टाम्प कीमती 20/— रूपया नग किता तीन पर मौजूदा गवाहों की मौजूदगी में तहरीर व तकमील करके गैरसायल संख्या 1 ता 6 के स्व. बुजुर्ग को सुपुर्द किया था, राज्य सरकार द्वारा शेष मुआवजा राशि का भुगतान गैरसायल संख्या 1 ता 6 के स्व. बुजुर्ग के देहावसान के पश्चात गैरसायल संख्या 1 ता 6 का नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज हो जाने से मुआवजा राशि का शेष भुगतान गैरसायल संख्या 1 ता 6 द्वारा प्राप्त किया गया था, जिसमें से गैरसायल संख्या 1 ता 6 द्वारा 29,743/— रूपये जरिये चैक नम्बर 524132 बैंक ऑफ बडौदा शाखा हिण्डौन सायल सं. राधामोहन को एवं 29,743/— रूपये जरिये चैक नम्बर 524153 बैंक ऑफ बडौदा शाखा हिण्डौन, सायल संख्या 2 रामअवतार को एवं 29,743/— रूपये का भुगतान जरिये चैक नम्बर 524154 बैंक ऑफ बडौदा शाखा हिण्डौन, गैरसायल संख्या 15 पवन कुमार को भुगतान करके एक प्रतिज्ञा पत्र वरस्टाम्प कीमती 100/— रूपये किता तीन पर निरंजनलाल जी डीडराईटर हिण्डौन से तहरीर व तकमील करवाके पढ व समझ कर गैरसायल संख्या 1 प्रदीप द्वारा एवं सायलान एवं गैरसायल नं. 15 द्वारा अपने—अपने हस्ताक्षर कर गैरसायल संख्या 1 प्रदीप को सुपुर्द किया है। उक्त मुआवजा भुगतान एवं उक्त दस्तावेजात से यह प्रमाणित है कि बाहमी बंटवारे दिनांक 27.10.1977 के तहत सायलान एवं गैरसायल नं. 15 के स्व पिता को हिस्से व कब्जे में दी गई आराजी पर आज भी सायलान बहैसियत मालिक काबिज एवं दखील है। राज्य सरकार द्वारा अवाप्त की गई भूमि का अंकन गैरमुमकिन सडक सार्वजनिक निर्माण विभाग के तौर पर खसरा नम्बर 5486/2 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5492/2 रकबा 0.2900 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में कायम हो चुका है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्टया केस बखूबी प्रमाणित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 9 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 5270 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5407 रकबा 0.2300 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 5271

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

रकबा 0.9000 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 5486/1 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, तरफ पूर्वी एवं खसरा नम्बर 5492/1 रकबा 0.3050 हैक्टेयर, तरफ दक्षिणी कुल किता 5 कुल रकबा 2.2850 हैक्टेयर स्थित ग्राम हिण्डौन सायलान एवं गैरसायल में 15 के संयुक्त कब्जे हिस्से व उपयोग, उपभोग की आराजी है जिसमें से आराजी खसरा नम्बर 5271 रकबा 0.9000 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 5486/1 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, तरफ पूर्वी एवं खसरा नम्बर 5492/1 रकबा 0.3050 हैक्टेयर, तरफ दक्षिणी स्थित ग्राम हिण्डौन की खातेदारी गैरसायल संख्या 1 ता 6 के नाम एवं खसरा नम्बर 5270 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5407 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, स्थित ग्राम हिण्डौन की खातेदारी गैरसायल संख्या 1 ता 6 के विश्वासपात्र रही मु. बादामी बेवा चीपू जाति ब्राह्मण के तथाकथित वारिसों गैरसायल संख्या 7 गुड्डी पुत्री मुन्नी हिस्सा 1/4. गैरसायल संख्या 8 व 9 राजू, मनोज पुत्री पुष्पा हिस्सा 1/6, गैरसायल संख्या 10 पुष्पेन्द्र पुत्र श्यामा हिस्सा 1/6, गैरसायल संख्या 11 शुभलक्ष्मी पुत्री श्रीलाल हिस्सा 1/6, गैरसायल संख्या 12 गायत्री पुत्री श्रीलाल हिस्सा 1/6 व गैरसायल संख्या 13 कृष्णा पुत्री श्रीलाल हिस्सा 1/6 जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खातेदार के नाम विधि विरूद्ध रूप से दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो वास्तव में सायलान एवं गैरसायल नं. 15 की आराजी है जिसे सायलान एवं गैरसायल नं. 15 दर हिस्सा 1/3, 1/3, 1/3 अपने नाम घोषणा करवाकर दर्ज राजस्व रिकार्ड कराने के कानूनन मुश्तहक है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 10 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 5270 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5407 रकबा 0.2300 हैक्टेयर स्थित ग्राम हिण्डौन की आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार के बंटवारे में सायलान एवं गैरसायल नं. 15 को कब्जे में प्राप्त हुई है जिसकी खातेदारी साबिक में मु बादामी बेवा चीपू ब्राह्मण निवासी गढ़मौहल्ला हिण्डीन के नाम दर्ज थी लेकिन किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मु बादामी बेवा चीपू जो कि वर्ष 1970 के आसपास लाऔलाद फौत हो गई थी उसके संबंध में नगर परिषद हिण्डौन से दिनांक 11.02.2009 को दिनांक 15.07.1979 का मृत्यु प्रमाण–पत्र जारी करवाकर, तत्पश्चात् तत्कालीन हल्का पटवारी से साज कर राजस्व रिकार्ड में फर्जकारी कर उक्त आराजी का विरासत नामान्तकरण संख्या 3351 दिनांक 03.03.2011 गैरसायल संख्या 7 लगायत 13 के हक में तस्दीक करवाकर उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में विधि विरूद्ध रूप से बगैर मौके की जांच किये अमल दरामद कर दिया है जबकि उक्त आराजी पर पिछले करीब 50 वर्षों से सायलान एवं गैरसायल नं. 15 और उनके बुजुर्ग बहैसियत मालिक काबिज एवं दखील है। गढीमौहल्ला हिण्डौन में गैरसायल नम्बर 7 लगायत 13 के नाम के कोई व्यक्ति अस्तित्व में नहीं है, उक्त आराजी के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं नामान्तकरण के संबंध में कार्यवाही करवाने वाले व्यक्ति एवं शपथ पत्र देने वाले व्यक्ति की कोई जानकारी सायलान के अथक प्रयास के बावजूद सायलान को प्राप्त नहीं हुई है और ना ही नामान्तकरण के पेसानी कॉलम नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

14 में अंकित शपथ–पत्र की कोई प्रति ही उपलब्ध हुई है। इस प्रकार उक्त आराजी के संबंध में गैरसायल संख्या 7 लगायत 13 गुमनाम व्यक्ति हैं जिनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है और ना ही उनका कोई वास्तविक पता किसी भी राजस्व रिकार्ड में उपलब्ध है। चूंकि उक्त आराजी भी सायलान एवं गैरसायल नं. 15 को बाहमी बंटवारे में कब्जे में सुपुर्द की गई है जिस पर सायलान एवं गैरसायल नं. 15 का विगत 50 सालों से शांतिपूर्वक लगातार कब्जा है, इस कारण सायलान एवं गैरसायल नं. 15 उक्त आराजी के भी विधिक रूप से हिस्सा 1/3, 1/3, 1/3 खातेदार घोषित होने के मुश्तहक हैं। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन बखूबी प्रमाणित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 11 में दर्ज किया है कि आराजी मुतजिक्रा मद नम्बर 9 प्रार्थना पत्र के राजस्व रिकार्ड में खातेदारी गलत तौर से गैरसायल संख्या 1 ता 6 एवं उनके विश्वासपात्र गैरसायल संख्या 7 लगायत 13 के नाम दर्ज होने से सायलान एवं गैरसायल नं. 15 अपने हिस्से कब्जे व मालिकाना हक की उक्त आराजी का बेहतर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं इसलिये सायलान एवं गैरसायल नं. 15 अपने हिस्से व कब्जे की उक्त आराजी को अब अपने नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड करवाना चाहते है जिसके लिये आवश्यक सभी विधिक खर्च भी वहन करने के लिये सायलान एवं गैरसायल नं. 15 तैयार व तत्पर है। इस बावत सायलान एवं गैरसायल नं. 15 द्वारा गैरसायल संख्या 1 ता 6 को सर्वप्रथम दिनांक 18.03.2015 को जरिये पंजीकृत विधिक नोटिस अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह जादौन से उनके सही पते पर प्रेषित करवा दिया, जिसे गैरसायल संख्या 1 ता 6 द्वारा स्थानीय डाकिया से साज कर अनडिलीवर्ड वापस करवा दिया, तत्पश्चात् साथलान एवं गैरसायल नं. 15 द्वारा पुनः दिनांक 06.04.2015 को गैरसायल संख्या 1 ता 6 को पंजीकृत विधिक नोटिस प्रेषित करवाया जिसे भी बार–बार सूचना देने के बावजूद गैरसायल संख्या 1 ता 6 ने प्राप्त नहीं किया और इस पर उक्त नोटिस भी सायलान को अनडिलीवर्ड वापस प्राप्त हो गया है, गैरसायल संख्या 1 ता 6 के मन में सायलान एवं गैरसायल नं. 15 के हिस्से व कब्जे की उक्त आराजी को लेकर अब बेईमानी आ गई है और इस कारण गैरसायल संख्या 1 ता 6 सायलान की उक्त आराजी को उनके हक में राजस्व रिकॉर्ड में जरिये विधिक दस्तावेज अमल नहीं करवा रहे है, गैरसायल संख्या 7 ता 13 के बारे में सायलान द्वारा अपने स्तर पर जानकारी की तो उक्त नाम के व्यक्ति मु. बादामी के कोई विधिक उत्तराधिकारी या वारिस नहीं है और उक्त व्यक्ति कौन है कहां रहते हैं उनकी उम्र क्या है कोई जानकारी सायलान को प्राप्त नहीं हुई है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं0 12 में दर्ज किया है कि गैरसायल संख्या 14 लैण्ड होल्डर है एवं मुकदमा हाजा में जरूरी व आवश्यक पक्षकार है इस कारण उन्हें मुकदमा हाजा में पक्षकार बनाया गया है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 13 में दर्ज किया है कि वाका दिनांक 24.09.2015 को सुबह करीब 10 बजे का है कि गैरसायल संख्या 1 ता 6 अपने साथ 6–7 महिला–पुरुषों को लेकर सायलान एवं गैरसायल नं. 15 के हिस्से, स्वामित्व व कब्जे की आराजी मुतजिक्रा मद नम्बर 7 प्रार्थना पत्र पर आ धमके और आते ही कहने लगे कि उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में हमारे नाम है हम शीघ्र ही इस आराजी को दीगर लठैत लोगों को रहन–बय कर अन्तरित करेंगे, और तुम्हें अब अगली कोई फसल इस जमीन में नहीं करने देंगे, सायलान ने गैरसायल संख्या 1 ता 6 व उनके साथ आये महिला पुरुषों से कहा कि उक्त आराजी हमारे हिस्से व कब्जे व उपयोग उपभोग की आराजी है इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है हमने तुम्हें उक्त आराजी को हमारे नाम करवाने के लिए दो बार विधिक नोटिस भेजे हैं लेकिन फिर भी तुमने हमारी इस आराजी को बदनीयति से हमारे नाम नहीं किया है अब तुम इस आराजी को दीगर लोगों को हमें बेदखल कर रहन–बय कैसे कर सकते हो, लेकिन गैरसायल संख्या 1 ता 6 व उनके साथ आये महिला पुरूषों ने सायलान की एक नहीं सुनी और शीघ्र ही सायलान को उक्त आराजी से बेदखल कर उसे दीगर लठैत व्यक्तियों को रहन–बय करने की धमकी दी है, इस कारण प्रार्थना पत्र सायलान विरूद्ध गैरसायलान पेश करना लाजमी हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 14 में दर्ज किया है कि गैरसायल संख्या 1 ता 6 व उनके साथ आये महिला पुरुषों द्वारा सायलान को उक्त आराजी से बेदखल कर उसे दीगर लठैत व्यक्तियों को रहन–बय करने से सायलान को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति द्रव्य में किया जाना कतई सम्भव नहीं होगा।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 15 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र हाजा नियमानुसार कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 16 में दर्ज किया है कि गैरसायल नं. 15 का भी विवादित आराजी मुतजिक्रा मद नम्बर 7 प्रार्थना पत्र में हिस्सा 1/6 है लेकिन वह पक्षकार सायल बनने को तैयार नहीं है, इस कारण उसे पक्षकार गैरसायल बनाया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ–पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार कर, गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा दौराने दावा इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 2999 रकबा 3 बीघा 15

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

बिस्वा व खसरा नम्बर 3001 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 5406 रकबा 1.45 हैक्टेयर तथा साबिक खसरा नम्बर 2965 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा से नवीन खसरा नम्बर 5486 रकबा 0.9400 हैक्टेयर, साबिक खसरा नम्बर 2928 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा से नवीन खसरा नम्बर 5492 रकबा 0.7100 हैक्टेयर, साबिक खसरा नम्बर 3002 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा से नवीन खसरा नम्बर 5271 रकबा 0.9000 हैक्टेयर, साबिक खसरा नम्बर 3141 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा से नवीन खसरा नम्बर 5270 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, साबिक खसरा नम्बर 2959 रकबा 18 बिस्वा से नवीन खसरा नम्बर 5407 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, स्थित ग्राम हिण्डौन तहसील जिला करौली में से सायलान एवं गैरसायल नं. 15 के हिस्सा 1/2 के भाग 2/6 में सायलान को शांतिपूर्वक फसल काश्त कर दरोह करने में कोई व्यवधान स्वयं या अपने प्रतिनिधि से पैदा नहीं करे, तथा उक्त आराजी को किसी भी दीगर व्यक्ति को रहन–बय कर अन्तरण नहीं करे, रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल सं01 ता 13 बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। दिनांक 28.08.2025 को गैरसायल सं0 1 ता 13 का जबाव बन्द करने के आदेश दिये गये।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2029–32 किता 2, फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल, फोटो प्रति नकल नक्शा सीट, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 67–70, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण सं0 2009/49 दिनांक 11.02.2009 मृतक बादामी पत्नि चीमू निवासी गढी मोहल्ला हिण्डौन मृत्यु दिनांक 15.07.1979, फोटो प्रति नकल नामान्तकरण सं0 3351 दिनांक 03.03.2011 पेश किये हैं।

इसके विपरीत वकील गैरसायल ने कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है इसके विपरीत वकील गैरसायल ने दौराने बहस सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2029–32 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 2959 रकबा 18 बिस्वा , 3141 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम हिण्डौन की खातेदारी मु0 बादामी बेबा चीपू जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2029–32 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 2928 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, 2965 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, 2999 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, 3001 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, 3002 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 16 बीघा 3 बिस्वा वाके कस्बा हिण्डौन की खातेदारी रामदयाल पुत्र जमनालाल जाति महाजन निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट कस्बा हिण्डौन के साबिक खसरा नम्बरान के नवीन खसरा नम्बरान निम्नानुसार कायम किये गये :–

साबिक खसरा नंबर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में
2999 3001	3 बीघा 15 बिस्वा 2 बीघा 4 बिस्वा	5406	1.45
2965	3 बीघा 15 बिस्वा	5486	0.94
2928	2 बीघा 17 बिस्वा	5492	0.71
3002	3 बीघा 12 बिस्वा	5271	0.90
3141	1 बीघा 14 बिस्वा	5270	0.42
2959	18 बिस्वा	5407	0.23

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2067–70 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 5270 रकबा 0.42 है0, 5407 रकबा 0.23 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी मु0 बादामी बेबा चीपू जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 3351 नि0दिंनाक 03.03.2011 विरासत से सम्पूर्ण खाता गुड्डी पुत्री मुन्नी हि0 1/6, राजू मनोज पुत्री पुष्पा हि0 1/6, पुष्पेन्द्र पुत्र श्यामा हि0 1/6, शुभलक्ष्मी गायत्री कृष्णा पुत्रियॉ श्रीलाल हि0 1/2 जाति ब्राहम्ण के नाम स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2067–70 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 5271 रकबा 0.90 है0, 5406 रकबा 1.45 है0, 5486 रकबा 0.94 है0, 5492 रकबा 0.71 है0 वाके कस्बा हिण्डौन की खातेदारी रामदयाल पुत्र जमनालाल जाति महाजन निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नामान्तकरण सं0 3930 नि0दिं0 03.10.2011 विरासत से खाता सत्यभान प्रदीप कुमार पि0 रामदयाल, लीलाबाई पुत्री रामदयाल जाति महाजन निवासी ग्राम खातेदार स्वीकार हुआ। नोट नामान्तकरण सं0 4648 नि0दिं0 09.09.2013 न्यायालय आदेश से खसरा नम्बर 5406/2 रकबा 0.12 है0, 5486/2 रकबा 0.04 है0, 5492/2 रकबा 0.29 है0 गै0मु0सडक सार्वजनिक निर्माण विभाग व खसरा नम्बर 5406/1 रकबा 1.33 है0, 5486/1 रकबा 0.90 है0, 5492/1 रकबा 0.42 है0 यथावत खातेदार के नाम स्वीकार हुआ तथा नोट नामान्तकरण सं0 4965 नि0दिं0 21.10.2014 विरासत से सत्यभान पुत्र रामदयाल हि0 1/3 के बजाय ललित पुत्र सत्यभान वर्षा रीना पुत्रियॉ सत्यभान व सरोज पत्नि सत्यभान हि0ब0 हि0 1/3 के नाम स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

सायलान के द्वारा फोटो प्रति 5/—रूपया के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प कुल किता 3 पर रामदयाल व दामोदरलाल पिसरान जमनालाल जाति महाजन निवासी हिण्डौन के द्वारा एक प्रतिज्ञा पत्र लिखा गया है जिसमें उक्त विवादित आराजीयात का आपसी सहमति से बंटवारा किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 5270 रकबा 0.42 है0, 5407 रकबा 0.23 है0 एवं खसरा नम्बर 5406/1 रकबा 1.33 है0, 5486/1 रकबा 0.90 है0, 5492/1 रकबा 0.42 है0 5271 रकबा 0.90 है0 वाके कस्बा हिण्डौन में से आदेशिका दिनांक 13.10.2020 के अनुसार खसरा नम्बर 5271, 5406/1, 5486/1, 5492/1 वाके कस्बा हिण्डौन के बाबत् गैरसायल सं0 1ता 6 एवं 15 के विरूद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही गई है। शेष नम्बरों के बाबत् रिलीफ सायलान की बदस्तूर रही है। उक्त प्रकरण में विवादित आराजीयात सायलान के पिता दामोदरलाल एवं रामदयाल पिसरान जमनालाल के द्वारा संयुक्त रूप से क्रय की गई थी किन्तु रामदयाल परिवार का कर्ताखानदान होने के कारण रजिस्ट्री रामदयाल के नाम करवा ली गई तथा रामदयाल के अपने विश्वत व्यक्ति मु0 बादामी पत्नि चीपू ब्राहम्ण निवासी हिण्डौन के नाम करवा ली। जो सायलान के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है। यदि उक्त विवादित आराजीयात के रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द नहीं किया गया तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। इस प्रकार प्रथमदृष्टया केस सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। पक्षकारान के अधिकार दावे में तय होने हैं तथा सुरक्षित हैं। ऐसी स्थिति में यदि विवादित आराजीयात के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम नहीं रखी गई तो पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद एवं मुकदमें बाजी बढने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। ऐसे

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 5270 रकबा 0.42 है0, 5407 रकबा 0.23 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 24/9/25

उपखण्ड अधिकारी

हिण्डौन जिला करौली